उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-166 /2018/2960/92-2-2018-98जांच/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 22 नवम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राशिमणि मिश्रा, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर एवं श्री आर0सी0 मौर्या, तत्का0 अधिशासी अभियंता (सेवानिवृत्त) के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-08-2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में 04 माह विलम्ब से आरोप पत्र उपलब्ध कराये जाने में की गयी घोर लापरवाही/अनुशासनहीनता आदि के लिये शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-68/2017/489/92-2-17-98जांच/2015 दिनांक 09-05-2017 द्वारा निलम्बित करते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-81/2017/789/92-2-17-98जांच/2015 दि0 25-05-2017 द्वारा श्री के0सी0 श्रीवास्तव, तत्का0 प्रभारी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-वाराणसी सम्प्रति सम्बद्ध कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी तथा प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। प्रकरण में नियमानुसार जांच की समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-885/2018/92-2-2018-98जांच/2015 दि0 01-05-2018 द्वारा श्री के0सी0 श्रीवास्तव, तत्का0 प्रभारी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-वाराणसी के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09-05-2017 द्वारा किये गये निलम्बन को समाप्त कर उन्हें सेवा में तत्काल प्रभाव से बहाल करते हुये उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-05-2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को भविष्य के लिये सचेत करते हुये समाप्त कर दिया गया है।

2- अत: प्रकरण में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2(4) के नियम-54 में निहित व्यवस्था के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री के0सी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, के निलम्बन अवधि दिनांक 09-05-2017 से 01-05-2018 तक को कर्तव्यार्थ सेवा अवधि मानते हुये उक्त अवधि के वेतन भत्तों का भुगतान किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-166/2018/2960(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री के0सी0 श्रीवास्तव, तत्का0 प्रभारी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-वाराणसी सम्प्रति सम्बद्ध अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सन्तरविदास नगर (भदोही) द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।